

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या : बी-1-137 / दस-2019-12(2) / 2017
लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप / शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक साहित्य में खण्ड-2 (भाग-1) "वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा" में लोक लेखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कार्यालय-ज्ञाप / शुद्धि पत्र संख्या-बी-1-1044 / दस-2018-12(2) / 2017, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप / शुद्धि पत्र संख्या-बी-1-121 / दस-2019-12(2) / 2017, दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा खोले गये लघु शीर्ष एवं उपशीर्ष को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
<p><u>"8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ"</u></p> <p>" 129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि -</p> <p>01- क्षतिपूरक वनीकरण</p> <p>02- जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना</p> <p>03- समेकित वन्यजीव प्रबन्ध योजना</p> <p>04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य</p> <p>05- ब्याज</p> <p>06- अन्य"</p>	<p><u>"8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ"</u></p> <p>" 129- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.) -</p> <p>01- प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>02- जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना</p> <p>03- समेकित वन्यजीव प्रबन्ध योजना</p> <p>04- वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य</p> <p>05- ब्याज</p> <p>06- अन्य"</p>
<p><u>"8336-सिविल जमा"</u></p> <p>" 103- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा -</p> <p>01- क्षतिपूरक वनीकरण</p> <p>02- जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना</p> <p>03- समेकित वन्यजीव प्रबन्ध योजना</p> <p>04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य</p> <p>05- ब्याज</p> <p>06- अन्य"</p>	<p><u>"8336-सिविल जमा"</u></p> <p>" 103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा -</p> <p>01- प्रतिकरात्मक वनरोपण</p> <p>02- जलग्रहण क्षेत्र शोधन योजना</p> <p>03- समेकित वन्यजीव प्रबन्ध योजना</p> <p>04- वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य</p> <p>05- ब्याज</p> <p>06- अन्य"</p>

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव ।

संख्या : बी-1-137 (1)/दस-2019-12(2)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-2 (भाग-1) की बजट फाईल में उक्तानुसार संशोधन करने का कष्ट करें ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्तानुसार एन.आई.सी. द्वारा संशोधित लेखाशीर्ष को कोषागारों को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें ।
5. वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 / 4
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. प्रोग्रामर ग्रेड-2, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, नवीन भवन, विधान भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक साहित्य के खण्ड-2 (भाग-1) की बजट फाईल में उक्तानुसार संशोधन करें ।

आज्ञा से,



(विवेक त्रिपाठी)

उप सचिव ।